ग्रायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

ग्रासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
द संख्या :– 10/2022

शीर्षक

राजनारायण
मदन
सांवताराम
रलीधर
ग्यारसीलाल

} पुत्रान भागीरथ उर्फ भागला

समस्त उम्र व्यस्क जाति अहीर(यादव) निवासी ग्राम शेरपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

कमली देवी पुत्री सेडूराम
मन्नालाल पुत्र सुवालाल
कल्याण सहाय पुत्र सुवालाल
नरसी राम पुत्र मांगू
रामकुवार पुत्र मांगू
सरदार मल पुत्र मांगू
बंशीधर पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
गिरधारी पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
सीताराम पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
.कैलाश चन्द पुत्र सेडुराम
.गौठी देवी पुत्री सेडुराम
. नाथी देवी पत्री सेडुरा
. फूली देवी पत्नी सेडुराम
. हनुमान सहाय पुत्र सेडुराम
. रामेश्वर पुत्र मांगु

समस्त उम्र व्यस्क जाति अहीर(यादव) निवासी ग्राम शेरपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

.प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 18/7/22

. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 न0. 2789/2531 रकबा 4.40 है0 भूमि वाकै ग्राम शेरपुरा हवार हल्का खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है।

2. यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है।

3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अब प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादीगण को उनके कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भू–भाग में निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। जिसका उनहे कोई हक अधिकार नहीं है।

4. यह कि आज से सप्ताह भर पूर्व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 आराजी मुतनाजा के विशिट भू–भाग पर जबरन निर्माण कार्य करने हेतु अपने सामग्री निर्माण सामग्री लेकर आये तथा निर्माण कार्य करने लगे तो वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया और वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने को कहा तो उनहोने आराजी का मन बंटवारा के आधार पर बंटवारा करवाने के

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

ये कहा तो उन्होने आराजी का बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 ने
दीगण को एलानिया धमकी दी है कि वे वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी
वारा करवाये ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे तथा आराजी मुतनाजा
विशिष्ट भू भाग का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में आराजी के विशिष्ट भू भाग का
तरण डी पंजीबद्ध करवाकर वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेंगे
पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगे तथा आराजी के विशिष्ट भू भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा
वाकर रहेंगे।

यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 अपने अवैध मनसूबे में सफल हो गये और उन्होंने वाद पत्र के
मन नं0 1 वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर
या या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भूभाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में
तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भूभाग पर कब्जा करवा देंगे
इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी
सकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक
में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इस कारण वादीगणर को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वादी आराजी के बंटवारे
एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

क) अन्त में निवेदन किया कि आराजी हाल खाता सं0 290 के हाल ख0 न0 2789/2531 रकबा 4.40
कुल किता 1 कुल रकबा 4.40 है0 वाकै ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी तह. शाहपुरा जयपुर में स्थित
ने का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के
ताबिक खातेदार काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार पर वाद पत्र के संलग्न
बट बंटवारा सूची व नजरी नक्शे व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातदेारों के राजस्व रिकार्ड
दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे
वादीगण को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावें।
ख) यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबनद किया जावे कि वे
दीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन
नहीं करे आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भूभाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे।

करण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण बाद तामील कोई
पस्थित नहीं इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी दिनांक 30.03.2022 को प्रकरण को
थमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी।

नांक 18.05.2022 को प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर
कीलवादीगण को सुना गया। वकीलवादीगण ने बंटवारा कुर्रेजात अनुसार वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये
ने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि आराजी
ाल खाता सं0 290 के हाल ख0 न0 2789/2531 रकबा 4.40 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 4.40 है0
ाकै ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी तह. शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर
थक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

**. प्रतिवादी सं0 1, 11, 12, 13, 10, 14, का हिस्सा 17/440 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी,
तिवादी सं0 2,3 हिस्सा 19/440 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 का
हिस्सा 17/440 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 4, 5, 6, 15, का हिस्सा
19/110 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 5 हिस्सा 7/66 रहिन राजस्थान मरूधरा
ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 2 हिस्सा 13/88 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 4
हिस्सा 3/55 बिला रहिन, वादी सं0 1 हिस्सा 263/1320 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0
3 हिस्सा 263/1320 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी के हिस्से में आराजी ख0 न0
2789/2531/1 रकबा 0.1600 है0 भूमि रहेगी।**

**2. प्रतिवादी सं0 1, 11, 12, 13, 10, 14, का हिस्सा 17/129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी,
प्रतिवादी सं0 2, 3 हिस्सा 19/129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 का
हिस्सा 17/129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 4, 5, 6, 15, का हिस्सा**

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

6/129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी जाति अहीर के हिस्से में आराजी ख0 न0 789/2531/2 रकबा 1.2373 है0 भूमि रहेगी।

वादी सं0 5 हिस्सा 140/933 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 2 हिस्सा 05/933 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 4 हिस्सा 72/933 बिला रहिन, वादी सं0 हिस्सा 263/933 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 3 हिस्सा 263/933 रहिन जस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी जाति अहीर के हिस्से में आराजी ख0 न0 2789/2531/3 रकबा 1. है0 व 2789/2531/4 रकबा 1.8027 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। दानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी ह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-7-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । ावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

ायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

ासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
द संख्या :– 10/2022

शीर्षक

राजनारायण
मदन
सांवताराम
ुरलीधर
्यारसीलाल
} पुत्रान भागीरथ उर्फ भागला

समस्त उम्र व्यस्क जाति अहीर(यादव) निवासी ग्राम शेरपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

कमली देवी पुत्री सेडूराम
मन्नालाल पुत्र सुवालाल
कल्याण सहाय पुत्र सुवालाल
नरसी राम पुत्र मांगू
रामकुवार पुत्र मांगू
सरदार मल पुत्र मांगू
बंशीधर पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
गिरधारी पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
सीताराम पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
.कैलाश चन्द पुत्र सेडुराम
.गौठी देवी पुत्री सेडुराम
. नाथी देवी पत्री सेडुरू
. फूली देवी पत्नी सेडुराम
. हनुमान सहाय पुत्र सेडुराम
. रामेश्वर पुत्र मांगु

समस्त उम्र व्यस्क जाति अहीर(यादव) निवासी ग्राम शेरपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

.प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 18-7-2022

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता सं0 290 के हाल ख0 न0 2789/2531 रकबा 4.40 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 4.40 है0 वाकै ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी तह. शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. प्रतिवादी सं0 1, 11, 12, 13, 10, 14, का हिस्सा 17/440 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 2,3हिस्सा 19/440 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 का हिस्सा 17/440 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 4, 5, 6, 15, का हिस्सा 19/110 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 5 हिस्सा 7/66 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 2 हिस्सा 13/88 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 4 हिस्सा 3/55 बिला रहिन, वादी सं0 1 हिस्सा 263/1320 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 3 हिस्सा 263/1320 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी के हिस्से में आराजी ख0 न0 2789/2531/1 रकबा 0.1800 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रतिवादी सं0 1, 11, 12, 13, 10, 14, का हिस्सा 17/129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, तिवादी सं0 2, 3 हिस्सा 19/129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 का स्सा 17/129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं0 4, 5, 6, 15, का हिस्सा /129 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी जाति अहीर के हिस्से में आराजी ख0 न0 789/2531/2 रकबा 1.2373 है0 भूमि रहेगी।

वादी सं0 5 हिस्सा 140/933 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 2 हिस्सा 95/933 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 4 हिस्सा 72/933 बिला रहिन, वादी सं0 हिस्सा 263/933 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0 3 हिस्सा 263/933 रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी जाति अहीर के हिस्से में आराजी ख0 न0 2789/2531/3 रकबा 1. 8 है0 व 2789/2531/4 रकबा 1.8027 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। दानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी रह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 18/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । त्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
		जोड़	
जोड			